प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.01.2025

स्वॉट व सर्विलांस टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.12.2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत बैंक में पैसे जमा करने जा रहे व्यक्ति के साथ हुई लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू, लूट से सम्बन्धित शेष बचे 22,020/-रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 30.12.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी सुजीत गिरी पुत्र श्री फुलेश्वर गिरी निवासी म0न0 C 726 राजीव कॉलेनी मोहननगर गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरे बेटे प्रिंस कुमार से कहा कि तुम्हारे पिता जी एक्सीडेन्ट हो गया है, तुम मेरे साथ चलो तुम्हारे पापा ने बुलाया है। मेरा बेटा जब बैंक से बाहर आया तो उन्होंने चाकू दिखाकर कहा कि जैसा कहता हूँ, वैसा ही करो और चाकू की नोक पर मोहननगर वसुन्धरा जाने वाले रोड़ पर पैसे छीन लिये और धक्का देकर वेगनॉर गाड़ी से भाग गए। जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर धारा 309(4) बीएनएस में अभियोग पंतीकृत कर तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में टीमें गठित की गयी। जिसके क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को स्वॉट व सर्विलांस टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सर्विलांस की सहायता से चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत बैंक में पैसे जमा करने जा रहे व्यक्ति के साथ हुई लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. फूल चन्द भारती पुत्र राम अजोर भारती निवासी ग्राम लक्ष्मण पुर थाना परशुराम पुर जनपद बस्ती उम्र करीब 37 वर्ष व 2. लालमन पुत्र अच्छेलाल निवासी हाल पता ए 262 टी हटस छुग्गी झोपड़ी चूना भट्टी कीर्तिनगर रमेशनगर दिल्ली मूल निवासी फदगुदिया पोस्ट अम्वारी थाना फूलपुर जिला आजमगढ उम्र करीब 38 वर्ष को आईटीएस कॉलेज नागद्वार मोहननगर साहिबाबाद से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू, लूट से सम्बन्धित शेष बचे 22,020/-रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त फूल चन्द भारती पुत्र राम अजोर भारती व लालमन पुत्र अच्छेलाल उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त फूल चन्द भारती पुत्र राम अजोर भारती व लालमन पुत्र अच्छेलाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि गिरफ्तार अभियुक्त लालमन व फूलचन्द तथा इनका 01 अन्य साथी जिसका नाम प्रकाश पुत्र लालता प्रसाद निवासी ए-529 टी हट्स कमाना नेहरू फैम्पस कीर्तिनगर वेस्ट दिल्ली द्वारा दिनांक 30.12.2024 को पंजाब नेशनल बैंक मोहननगर के पास से एक लड़के को चाकू दिखाकर 34,000/-रुपये छीने थे। जिसमें से 14,000/-रुपये फूलचन्द, 14,000/-रूपये लालमन और प्रकाश को 6,000/-हजार रुपये दिये थे। उक्त रूपयों में से कुछ रूपये इनके द्वारा खर्च कर दिये गए बाकी शेष बचे 22,020/-रुपये बरामद किए गए है। आज ये लोग पुनः घटना करने की फिराक में निकले थे। इनका 01 अन्य साथी अभियुक्त प्रकाश पुत्र लालता उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. फूल चन्द भारती पुत्र राम अजोर भारती निवासी ग्राम लक्ष्मण पुर थाना परशुराम पुर जनपद बस्ती उम्र करीब 37 वर्ष।
2. लालमन पुत्र अच्छेलाल निवासी हाल पता ए 262 टी हटस छुग्गी झोपड़ी चूना भट्टी कीर्तिनगर रमेशनगर दिल्ली मूल निवासी फदगुदिया पोस्ट अम्वारी थाना फूलपुर जिला आजमगढ उम्र करीब 38 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त फूल चन्द भारती पुत्र राम अजोर भारती व लालमन पुत्र अच्छेलाल उपरोक्तके विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर लूट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू, लूट से सम्बन्धित शेष बचे 22,020/-रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

स्वॉट व सर्विलांस टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.12.2024 को थाना मसूरी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि नौशाद अली व 04 अन्य अभियुक्तों द्वारा वादिया के साथ धोखाधडी कर वादिया की जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा कर बेच देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर घटना पुरानी होने के कारण थाना मसूरी पर तत्काल धारा 420/467/468/471/120बी/506 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.01.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नौशाद पुत्र शाकिर अली निवासी खुैरजी खास थाना जगतपुरी दिल्ली को खुैरजी खास थाना जगतपुरी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मसूरी स्थित खाता सं0-1929, खसरा सं0-378 कुल रकबई 0.9750 हैक्टेयर जो वादिया व उसकी बहन के नाम पर है। मैंने फर्जी तरीके से धोखाधडी कर कूटरचित दस्तावेज बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त भूमि में से 1/3 भूमि का फर्जी तरीके से बैनामा कर बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नौशाद पुत्र शाकिर अली निवासी खुैरजी खास थाना जगतपुरी दिल्ली, उम्र करीब 58 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मसूरी पर धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –
थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तमन्चे के साथ वीडियो बनाने वाले 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। कब्जे से 1 तमंचा 12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 4 खोखा कारतूस 12 बोर तथा 08 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 20.01.2025 को थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें 02 लड़के एक तमन्चे व कुछ कारतूसों के साथ तमन्चा लहराते हुए वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा वीडियो के आधार पर 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से 1 तमंचा 12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 04 खोखा कारतूस 12 बोर तथा 08 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
अभिरक्षा में लिए गये 02 बाल अपचारी से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोस्त पार्टी कर रहे थे उसी समय हम स्नैपचैट पर वीडियो बना रहे थे पता नहीं किससे यह वीडियो वायरल हो गयी।

बरामदगी

1- देशी 01तमंचा 12 बोर
2- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर
3- 04 खोखा कारतूस 12 बोर
4- 08 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभिरक्षा में लेने वाली टीम:-
थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अवैध रुप से संचालित हुक्का बार में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 हुक्का, 08 हुक्का की प्लेट, 05 हुक्का की पाईप, फ्लैवर्ड तम्बाकू के मिश्रण से भरी हुई 02 चिलम, खाली 01 रवड़ की चिलम, 10 फ्लैवर्ड तम्बाकू पैकेट व अन्य सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 21.01.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अवैध रुप से संचालित हुक्का बार में 02 अभियुक्त 1. हिमाशु रावत पुत्र इन्द्रजीत रावत निवासी ग्राम अटोर का नगला गाजियाबाद मूल निवासी गंगा विहार गली न0 10 खोड़ा कॉलोना थाना खोड़ा गाजियावाद उम्र करीब 23 वर्ष व 2. आर्यन पुत्र मनोज कुमार निवासी 385 बी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र

करीब 19 वर्ष को नजीर की दुकान के ऊपर तीसरे फ्लोर मैन मार्केट सेक्टर 04 वैशाली 08 हुक्का, 08 हुक्का की प्लेट, 05 हुक्का की पाईप, फ्लैवर्ड तम्बाकू के मिश्रण से भरी हुई 02 चिलम, खाली 01 रवड़ की चिलम, 10 फ्लैवर्ड तम्बाकू पैकेट व अन्य सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हिमाशु रावत पुत्र इन्द्रजीत रावत व आर्यन पुत्र मनोज कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 21/22 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त हिमाशु रावत पुत्र इन्द्रजीत रावत व आर्यन पुत्र मनोज कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग इस अवैध हुक्का बार में काम करते हैं। हम अपने क्लब मालिक हिमाशु शर्मा पुत्र प्रदीप कुमार निवासी आर 174 एच आइजी प्रताप विहार विजय नगर गाजियावाद के कहने पर ग्राहको की मांग पर फ्लेवर्ड हुक्का और चिलम तम्बाकू उपलब्ध कराते हे तथा क्लब मालिक हिमाशु शर्मा आप लोगों को देखकर भाग गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. हिमाशु रावत पुत्र इन्द्रजीत रावत निवासी ग्राम अटोर का नगला गाजियाबाद मूल निवासी गंगा विहार गली न0 10 खोड़ा कॉलोना थाना खोड़ा गाजियावाद उम्र करीब 23 वर्ष।
2. आर्यन पुत्र मनोज कुमार निवासी 385 बी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 08 हुक्का, 08 हुक्का की प्लेट, 05 हुक्का की पाईप, फ्लैवर्ड तम्बाकू के मिश्रण से भरी हुई 02 चिलम, खाली 01 रवड़ की चिलम, 10 फ्लैवर्ड तम्बाकू पैकेट व अन्य सामग्री बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 10,000/- रूपये का इनामी 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 15.03.2024 व 14.07.2024 को थाना खोड़ा पर वादी पवन कुमार पुत्र नरेन्द्र नाथ द्वारा अभियुक्त आयुष गुप्ता पुत्र अनुज कुमार व अन्य लोगों के विरुद्ध अलग-अलग फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के प्लॉटों/जमीन पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराए थे। जिसमें अभियुक्त उपरोक्त वाँछित चल रहा था। आज दिनांक 21.01.2025 को स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रवाना होकर मैनुअल इनपुट व सर्विलांस की सहायता से मुखबिर की सूचना के आधार पर 10,000/- रूपये का इनामी 01 वाँछित अभियुक्त आयुष गुप्ता पुत्र अनुज कुमार निवासी 16034 एटीएस एडवैन्टेज सोसाइटी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष घण्टाघर के पास जनपद

हाथरस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आयुष गुप्ता पुत्र अनुज कुमार उपरोक्त थाना खोड़ा पर धोखाधड़ी के अभियोगों में वाँछित चल रहा था।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त आयुष गुप्ता पुत्र अनुज कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त आयुष गुप्ता पुत्र अनुज कुमार अपने अन्य साथियों के सात मिलकर वादी के प्लॉटों/जमीन के फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध कब्जा करता है। जिसके सम्बन्ध में थाना खोड़ा पर सुसंगत धारओं में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त धोखाधड़ी के अभियोगों में लगातार वाँछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आयुष गुप्ता पुत्र अनुज कुमार निवासी 16034 एटीएस एडवैन्टेज सोसाइटी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त आयुष गुप्ता पुत्र अनुज कुमार उपरोक्त के विरुद्द थाना खोड़ा पर धोखाधड़ी के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग/झपटमारी का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग/झपटमारी का प्रयास करने की घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 21.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया की तहरीर के आधार पर दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा वादिया का पर्स छीनने का प्रयास करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके संज्ञान लेते हुए ज दिनांक 21.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर स्नैचिंग/झपटमारी का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त 1. हिमांशू शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी म0न0-379 मैन श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष व 2. मोहित पुत्र सुनील निवासी म0न0-427 मैन श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाने के पीछे वाले रास्ते पर शालीमार गार्डन से स्नैचिंग/झपटमारी का प्रयास करने की घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशू शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा व मोहित पुत्र सुनील उपरोक्त के विरुद्ध धारा 304(2),62 बीएनएस में पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशू शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा व मोहित पुत्र सुनील उपरोक्त से पूछताछ में बताया कि हम लोगों ने 80 फुटा रोड़ पर दिल्ली कोन्वेंट स्कूल के पास एक महिला से पर्स छिनने का प्रयास किया गया था। जिसमें महिला वही गिर गयी थी तो हम पब्लिक द्वारा पकडे जाने के डर से भाग गये थे। छीना झपटी करके जो भी सामान मिलता है, उसे बेच कर नशा कर लेते है। आज भी हम मोबाइल छीनने की फिराक में घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. हिमांशू शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी म0न0-379 मैन श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
2. मोहित पुत्र सुनील निवासी म0न0-427 मैन श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- स्नैचिंग/झपटमारी का प्रयास करने की घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशू शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा व मोहित पुत्र सुनील उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर पर्स छीनने के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा में 01 जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.10.2024 को थाना खोड़ा पुलिस द्वारा अभियुक्त रितिक उर्फ नकली गुर्जर पुत्र तिलक राम निवासी आरसी 58 संगम पार्क खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश तामील कराते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा में घूमते हुये मिलने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अवगत कराकर जिलाबदर किया था। उपरोक्तक्रम आज दिनांक 21.01.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत 01 जिला बदर अभियुक्त रितिक उर्फ नकली गुर्जर पुत्र तिलक राम निवासी आरसी 58 संगम पार्क खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को बाबा बैंकट हॉल चौकी क्षेत्र लौधी चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रितिक उर्फ नकली गुर्जर पुत्र तिलक राम उपरोक्त के विरुद्ध धारा 10 गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

रितिक उर्फ नकली गुर्जर पुत्र तिलक राम निवासी आरसी 58 संगम पार्क खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त रितिक उर्फ नकली गुर्जर पुत्र तिलक राम उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर मारपीट, आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना खोड़ा पुलिस टीम।